दिनांक / Date: 26.04.2022

प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

नये बीमाकर्ताओं के पंजीकरण आवेदनों का प्रसंस्करण Processing of registration applications of new insurers

दोनों वैश्विक और देशी निवेशकों के लिए बीमा क्षेत्र में व्यवसाय करने की सुगमता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आईआरडीएआई ने आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के अधीन नई बीमा कंपनियों के पंजीकरण के लिए अनुरोधों और आवेदनों के प्रसंस्करण हेतु एक नई व्यवस्था निर्दिष्ट करने में एक बड़ा कदम उठाया है। यह नई प्रक्रिया बीमा संबंधी गतिविधि के लिए नई संस्था के निगमन के लिए तथा बीमा व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्रतिवर्तन काल (टर्नअराउंड टाइम) को कम करेगी।

With the objective of ensuring Ease of doing business in the insurance sector, for both global and domestic investors, IRDAI has taken a major step in setting out a new mechanism for processing the requests and applications for registration of new insurance companies under the IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000. The new process would bring down the turnaround time for incorporation of a new entity for insurance related activity and for grant of Certificate of Registration to commence insurance business.

उक्त नई प्रक्रिया बीमा क्षेत्र में सुगमता के साथ निवेश करने के लिए वैश्विक और देशी निवेशकों की सहायता करेगी तथा इस प्रकार अधिक विशेष रूप से अल्प सेवा प्राप्त जनता के बीच बीमा व्यापन की वृद्धि करने में अंशदान करेगी।

The new process would help global and domestic investors to invest with ease in insurance sector and thus contribute to the increase of penetration of insurance, more particularly the under-served population.